

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

MADHYA PRADESH, GWALIOR

(Lekha Bhavan, Jhansi Road, Gwalior, Pin: 474002)

No./Pension/DRSSA/Bihar-01/2026-27/

Date:-

To,

✓ All District/ Sub Treasury Officers
Madhya Pradesh

Sub: - Grant of Dearness Relief/Medical Allowance/Revision of pension/amendment of pension rules of state government pensioner.

- Ref: -**
1. O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna Letter No-PEN-09/26-27/298 dated 10.07.2026.
 2. बिहार सरकार, वित्त विभाग संख्या -3ए-3-भत्ता-02 / 2022-12720 / वि., दिनांक 15.12.2025.
 3. बिहार सरकार, वित्त विभाग संख्या -3ए-3-भत्ता-03 / 2022-12737 / वि., दिनांक 15.12.2025
 4. बिहार सरकार, वित्त विभाग संख्या -3ए-3-भत्ता-01 / 2022-4550 / वि., दिनांक 14.05.2026
 5. बिहार सरकार, वित्त विभाग संख्या -3ए-3-भत्ता-02 / 2022-4551 / वि., दिनांक 14.05.2026
 6. बिहार सरकार, वित्त विभाग संख्या -3ए-3-भत्ता-03 / 2022-4552 / वि., दिनांक 14.05.2026

I am to enclose herewith the copy of SSA received from O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna which encloses Govt. of Bihar resolutions mentioned at Sl no. 2 to 6 under reference regarding Grant of Dearness Relief/Medical Allowance/Revision of pension/amendment of pension rules of state government pensioner. The same is being placed on the official website of the office (www.agmp.nic.in) under the link "**Pensioners Corner**". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

It will be the responsibility of the pension disbursing authority to download the orders mentioned above from the website and take necessary action accordingly.


Sr. Accounts Officer / Pension

No. / Pension/ DRSSA/ Bihar-01/2026-27/ 1170

Date:- 13.8.26

Endt. Copy for information-

Senior Accounts Officer/pension, O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Birchand Patel Path Patna- : 800001 w.r.t. Letter No-PEN-09/26-27/298 dated 10.07.2026.


Sr. Accounts Officer / Pension

R-2995
महालेखाकार (ले0&ह0) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

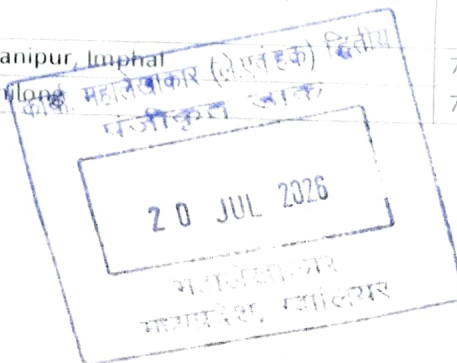
127293

पत्रांक /Letter No.-PEN-09/26-27/298

दिनांक/Date- 10/07/2026

To,
The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa b	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line, Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalaya, Shillong	793001



18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005
23	Sr. Deputppy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Lucknow, Audit Bhawan, 4 th Floor, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh	226010
28	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
29	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
30	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
31	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
32	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
33	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioners/family pensioners.

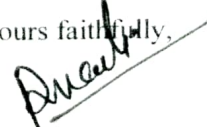
Reference: Government resolution No- (1) ज़ापांक-3ए-3-भत्ता-02/2022-12720/वि०, पटना, दिनांक-15.12.2025
(2) ज़ापांक-3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि०, पटना, दिनांक-15.12.2025
(3) ज़ापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-4550/वि०, पटना, दिनांक-14.05.2026
(4) ज़ापांक-3ए-3-भत्ता-02/2022-4551/वि०, पटना, दिनांक-14.05.2026
(5) ज़ापांक-3ए-3-भत्ता-03/2022-4552/वि०, पटना, दिनांक-14.05.2026

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concerned pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully,


Sr. Accounts Officer

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-15-12-2025

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5781/वि०, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 252% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/4(ii)/2025-E.II(B), दिनांक-06.10.2025 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% से बढ़ाकर 257% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

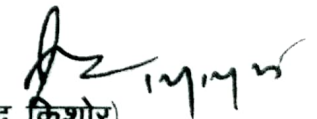
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-12720/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2025

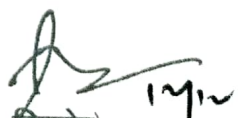
प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-12720/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2025

प्रतिलिपि:—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

संख्या-3ए-3-भत्ता-03/2022-.....12737...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: 15-12-2025

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-5782, दिनांक-21.05.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2025 के प्रभाव से 466% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/4(iii)/2025-E.II(B), दिनांक-06.10.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% से बढ़ाकर 474% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महँगाई भत्ता की राशि को महँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 466% से बढ़ाकर 474% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

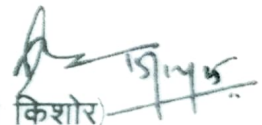
4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

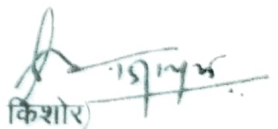
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2023

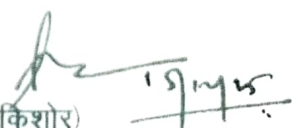
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-12737/वि०

पटना, दिनांक:-15-12-2023

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-10545, दिनांक-06/10/2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01/07/2025 के प्रभाव से 58% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/1(i)/2026-E.II(B), दिनांक-22/04/2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D)/E-9475, दिनांक-24/04/2026 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 58% से बढ़ाकर 60% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/01/2026 के प्रभाव से 58% के स्थान पर 60% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे-मैट्रिक्स में विहित वेतनस्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त मँहगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 —_____/वि० पटना, दिनांक:—____

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 —_____/वि० पटना, दिनांक:—____

प्रतिलिपि:—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

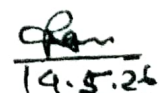
ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-01/2022 — 4550 /वि० पटना, दिनांक:—14-05-2026

प्रतिलिपि:—महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।


14.5.26

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-12720/वि०, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 257% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(ii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% से बढ़ाकर 262% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः उक्त के आलोक में षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-02/2022—/वि०

पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:—3ए-3-भत्ता-02/2022—/वि०

पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:—माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-_____/वि०

पटना, दिनांक:-____

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गौंधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीविशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना-01/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना/ इंडियन बैंक, फील्ड जेनरल मैनेजर ऑफिस, प्रथम तल, इंडियन बैंक, एफ०जी०एम०ओ० बिल्डिंग, कोतवाली थाना के नजदीक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-_____/वि०

पटना, दिनांक:-____

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मँहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-4551/वि०

पटना, दिनांक:-14-05-2026

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, HRMS/CFMS, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14-5-26

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-...14-05-2026

विषय:- पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-12737, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 474% की दर से महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(iii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महुँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% से बढ़ाकर 483% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महुँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2026 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महुँगाई भत्ता की राशि को महुँगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महुँगाई भत्ता/राहत की दर 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन वें सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-4552/वि० पटना, दिनांक:-14-05-2026

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-4552/वि०

पटना, दिनांक:-14-05-2026

प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14-5-26
(रचना पाटिल)

सचिव (व्यय)।